राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 1153/2013/बीकानेर.

श्रीमती रीता अरोड़ा पत्नी श्री दीपक अरोड़ा
मैसर्स न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट, आर.टी.ओ. ऑफिस
के पास, श्रीगंगानगर रोड़ बीछवाल, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मदन लाल, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/03/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी प्रार्थिया द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर (जिसे आगे **'आबकारी आयुक्त'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या प.38(ए)(26) पी/रेस्टो.बार/आब/2012 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.5.2013 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9ए(1) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी प्रार्थिया द्वारा मैसर्स न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, श्रीगंगानगर रोड़ बीकानेर के लिये रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञापत्र हेतु वर्ष 2012–13 अधिनियम के तहत राजस्थान आबकारी (रेस्तरां बार लाईसेंस) नियम 2004 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन बीकानेर ने पत्रांक 832 दिनांक 16.4.2013 के साथ राज्य सरकार की आज्ञा प. 3(2)वित्त/ आब/96 दिनांक 13.3.2006 एवं आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के पत्रांक प.32(बी)(104)आब/एल/2011/1088 दिनांक 3.01.2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 16.4.2013 की प्रति संलग्न करते हुए आयुक्त आबकारी को भिजवाई गई, जिसमें राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2011–12 के बिन्दु संख्या 5.2.2 के उपबिन्दु (iv) से (viii) में विहित विशिष्टताओं के क्रम में प्रार्थिया द्वारा रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण नहीं करना बताया गया। आबकारी आयुक्त ने प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश क्रमांक प.38(ए)(26) पी/रेस्टो.बार/आब/2012 दिनांक 14.5.2013 से आवेदन खारिज किया, जिसके विरूद्ध यह अपील अधिनियम की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थिया द्वारा रेस्टोरेंट बार के लिये आवेदन के साथ आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2012—13 में विहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे, उन दस्तावेजों के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर ने आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 1.10.2012 से रेस्टोरेंट बार के लिये अनुशंषा की गई, जिसके आधार पर जिला आबकारी अधिकारी ने टिप्पणी में भी बार अनुज्ञापत्र की अनुशंषा की जाकर प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त आबकारी को दिनांक 3.10.2012 को भिजवाया गया, जिन्होंने राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 13.3.2006 व आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 03.01.2012 के तहत गठित निरीक्षण समिति, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त के अलावा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, उप—निदेशक पर्यटन व जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर शामिल थे, ने निरीक्षण दिनांक 05.10.2012 के पश्चात प्रार्थिया को रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु अनुशंषा की थी। आबकारी आयुक्त द्वारा इन रिपोर्टों को नजरअंदाज कर प्रार्थिया का आवेदन अस्वीकार किया है।

अग्रिम कथन किया कि आबकारी आयुक्त ने समिति की रिपोर्ट दिनांक 16.4.2013 के दो बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थिया को रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्र के लिये अपात्र माना है :—

1. प्रश्नगत प्रस्ताव में आवेदन श्रीमती रीता अरोड़ा पत्नि दीपक अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी रेस्टोरेन्ट के फूड लाईसेन्स एवं टिन नम्बर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोपराईटर श्री दीपक अरोड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।

2. गत दो वर्ष में आवेदक के नाम से प्रत्येक वर्ष का ग्रोस टर्न ओवर 15.00 लाख रू0 तथा इसमें से कुकूड़ फ्रूड की बिलिंग राशि 10.00 लाख रू0 न्यूनतम श्री दीपक अरोड़ा के नाम से जारी टिन नम्बर के अन्तर्गत जमा हुए है। जबकि आवेदक श्रीमती रीता अरोड़ा है।

उक्त बिन्दु संख्या 1 के लिये अपीलार्थी ने अपने जवाब में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया था कि अपीलान्ट श्री दीपक अरोड़ा पुत्र श्री मोहन लाल अरोड़ा प्रोपराईटर न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट बीकानेर की मुख्त्यारआम नियुक्त की गई है तथा मुख्त्यारनामा आम के बिन्दु संख्या 1 में अधिकार दिया गया है कि "मेरी मुख्त्यारआम को अधिकार होगा कि वह मेरे न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट बार की बाबत आबकारी विभाग बीकानेर तथा आबकारी

लगातार.....3

आयुक्त में मेरे न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट के लिये आवेदन करे। सम्बन्धित आबकारी विभाग में नियमानुसार राशि जमा करवाये लाईसेन्स मेरी जगह अपने नाम से जारी करवाये तथा उक्त कार्य की बाबत जहां मेरे हस्ताक्षरों की आवश्यकता हो वहां पर मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर करे यानि सम्बन्धित आबकारी विभाग से मेरे न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट बाबत मेरी मुख्त्यारआम वे तमाम कार्य एवं कार्यवाहियां मेरी ओर से करे जो मेरे करने योग्य है।'' उक्त कथन से यह मंशा जाहिर होती है कि दीपक अरोड़ा प्रोपराईटर न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट द्वारा अपीलान्ट को विधिक रूप से रेस्टोरेन्ट बार के लिये आवेदन हेतु अधिकृत किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है।

यह भी कथन किया कि उक्त बिन्दु संख्या 2 बाबत अपीलान्ट ने अपने लिखित जवाब में यह कथन किया था कि अपीलान्ट श्री दीपक अरोड़ा प्रोपराईटर न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेन्ट बीकानेर जो वाणिज्यिक कर अधिकारी बीकानेर के टिन नम्बर 085413610095 पर पंजीकृत है तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 13 में घोषित मैनेजर है तथा मैनेजर की हैसियत से अपीलान्ट को वाणिज्यिक कर विभाग में फर्म के टैक्स रिटर्न पर हस्ताक्षर व लेनदेन करने के अधिकार दिये गये हैं, जिसे भी आबकारी आयुक्त ने नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि की है।

इन आधारों पर प्रार्थना की कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 14.5.2013 को अपास्त करने व प्रार्थिया के रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मैसर्स न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेंट श्री दीपक अरोड़ा के नाम वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत है। फूड लाईसेंस भी उसके नाम है, जो कि भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त किये गये हैं। प्रार्थिया ने किरायानामा दिनांक 13.2.2013 से रेस्टोरेंट को किराये पर लेने का दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है। आबकारी मद्य संयम नीति 2012—13 के बिन्दु संख्या 5.2.2 के उप बिन्दु vi से viii अनुसार दो वर्ष से कम संचालन होने के कारण अनुज्ञापत्र की पात्र नहीं है। इसलिए आयुक्त आबकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील प्रार्थिया खारिज योग्य है।

लगातार.....4

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं आबकारी आयुक्त की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थिया के आवेदन दिनांक 27.9.2012 में (संलग्न शपथपत्र दिनांक 28.9.2012) प्रार्थिया ने रेस्टोरेंट का संचालक बताया है। दिनांक 13.2.2013 को प्रस्तुत मुख्त्यारनामा आम में रेस्टोरेंट के मालिक श्री दीपक अरोड़ा ने प्रार्थिया को रेस्टोरेंट से सम्बन्धित सभी अधिकार प्रदान किये हैं। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में किरायानामा दिनांक 24.9.2012 में न्यू हैवन सिटी रेस्टोरेंट को स्वयं ने श्री दीपक अरोड़ा से किराये पर लिया गया है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में अतिरिक्त आयुक्त ने विधिक जांच करवाने पर पाया कि –

1. **प्रश्नगत प्रस्ताव में आवेदन श्रीमती रीता अरोड़ा पत्नि दीपक अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी रेस्टोरेन्ट के फूड लाईसेन्स एवं टिन नम्बर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोपराईटर श्री दीपक अरोड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।**

2. **गत दो वर्ष में आवेदन के नाम से प्रत्येक वर्ष का ग्रोस टर्न ओवर 15.00 लाख रू0 तथा इसमें से कुकड़ फ्रूड की बिलिंग राशि 10.00 लाख रू0 न्यूनतम श्री दीपक अरोड़ा के नाम से जारी टिन नम्बर के अन्तर्गत जमा हुए है। जबकि आवेदक श्रीमती रीता अरोड़ा है।**

इन आधारों पर निरीक्षण कमेटी को जांच किये जाने हेतु प्रेषित करने पर कमेटी ने दिनांक 16.4.2013 में प्रार्थी रेस्टोरेंट को बार अनुज्ञापत्र के लिये निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करना मानते हुए राय प्रस्तुत की। इस राय के आधार पर आयुक्त द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया है। आबकारी आयुक्त ने प्रार्थिया के प्रार्थना–पत्रों में परस्पर विरोधाभासी दस्तावेजों के आधार पर आदेश में अंकित किया है कि –

> **"आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत टीन नं0 08541310095 की प्रति प्रस्तुत की है इसमें श्री दीपक अरोड़ा का नाम अंकित है तथा आवेदिका श्रीमति रीता अरोड़ा का नाम अंकित नहीं है। इस टिन नं. के अन्तर्गत जमा वेट राशि आवेदिका द्वारा जमा होना नहीं पाया जाता है।**
>
> **कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा जारी खाद्य अनुज्ञापत्र श्री दीपक अरोड़ा के नाम जारी है। इस स्थिति में गत दो वर्ष से रेस्टोरेन्ट का संचालन आवेदिका द्वारा संचालित किया जाना नहीं पाया जाता है।**

लगातार.....5

आवेदिका ने अपने लिखित उत्तर में स्वयं को दीपक अरोड़ा की मुखत्यार आम होकर आवेदन प्रस्तुत करना बताया है। दीपक अरोड़ा द्वारा पूर्व में इसी रेस्टोरेन्ट के लिये प्रस्तुत रेस्टोरेन्ट बार आवेदन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.32(बी)(104)आब/एल/2011/1474 दिनांक 26.03.2012 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदिका ने रेस्टोरेन्ट बार के लिये प्रस्तुत अपने आवेदन के साथ संलग्न किराया नामा में न्यू हैवन रेस्टोरेन्ट को दीपक अरोड़ा से किराये पर लिया जाना बताया है जबकि आवेदिका ने लिखित उत्तर में स्वयं को दीपक अरोड़ा का मुखत्यार आम होना बताया है। यह दोनों तथ्य विरोधाभासी हैं। आवेदिका ने दीपक अरोड़ा द्वारा उसको मुखत्यार आम घोषित किये जाने बाबत कोई दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया। आवेदन के साथ आवेदिका ने किरायानामा प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका ने विभाग को भ्रमित एवं गुमराह कर येन केन प्रकारेण बार लाईसेन्स लेने का प्रयास कर रही है।

आवेदिका द्वारा गत दो वर्ष से स्वयं द्वारा रेस्टोरेन्ट संचालन नहीं करने, वेट पंजिकरण प्रमाण पत्र स्वयं के नाम नहीं होने तथा वेट राशि स्वयं के द्वारा जमा नहीं कराने की स्थिति में आवेदिका को रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया है। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों की स्थिति में रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र स्वीकृति के लिये विहित मानदण्डों की पूर्ति का अभाव एवं आवेदिका रेस्टोरेन्ट बार स्वीकृति के लिये अयोग्य पाये जाने के कारण आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।''

राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2011–12 के बिन्दु संख्या 5.2.2 में वर्ष 11–12 में रेस्टोरेंट बार के अनुज्ञापत्र के लिये प्रस्तुत नवीन आवेदन पर बार अनुज्ञापत्र प्रावधानों के लिये विशिष्टतायें निम्न निर्धारित की जाती हैं :–

(i) रेस्टोरेन्ट में कवर्ड डायनिंग क्षेत्रफल, एक ही तल पर, 1000 वर्गफीट के साथ ही न्यूनतम 50 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता।

(ii) रेस्टोरेन्ट पूर्णतया वातानुकूलित होना।

(iii) रेस्टोरेन्ट में महिला एवं पुरूष शौचालय की अलग–अलग व्यवस्था।

(iv) रेस्टोरेन्ट परिसर में अतिथियों के ठहरने एवं निवास हेतु कमरे नहीं हो।

(v) रेस्टोरेन्ट न्यूनतम 40 फीट की रोड़ पर स्थित होगा।

लगातार.....6

(vi) **रेस्टोरेन्ट का गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष का ग्रोस टर्नओवर 15 लाख रूपये या अधिक तथा जिसमें से कुक्ड फूड की कुल बिलिंग राशि 10 लाख रूपये या अधिक होना आवश्यक होगा। इस टर्नओवर एवं "कुक्ड फूड" की बिलिंग राशि का प्रमाणीकरण वाणिज्यिक कर विभाग के एसेसिंग अथोरिटी से बिक्रीकर विवरणियों के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।**

(vii) अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि अनुज्ञाधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित टर्नऑवर के अनुसार देय कर राजकोष में जमा करा दिया गया हो।

(viii) **रेस्टोरेन्ट का संचालन कम से कम दो वर्ष पूर्व से किया जा रहा होना आवश्यक होगा।** इसका आधार **रेस्टोरेन्ट द्वारा प्राप्त वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं फूड लाईसेन्स प्राप्त करने की दिनांक को रखा जायेगा। भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त किये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(ix) वाणिज्यिक कर विभाग की रेस्टोरेन्ट व ढाबा हेतु प्रश्मन योजना लागू है। इस योजना को अपनाने वाले रेस्टोरेन्ट को बार लाईसेन्स जारी नहीं किया जायेगा।

शर्तों की उपबिन्दु (vi) से (viii) के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विरोधाभासी होने व अर्हताएं पूर्ण नहीं करने के कारण आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। प्रार्थिया ने दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किरायेनामे में स्वयं ने रेस्टोरेंट स्वयं के पति से किराये पर लेना बताया है, जबकि दिनांक 13.2.2013 को मुख्त्यारनामे से बिजनेस मैनेजर बताया है। वाणिज्यिक कर विभाग में रेस्टोरेंट का पंजीयन श्री दीपक अरोड़ा के मालिकाना स्थिति में किया गया है तथा वैट भी श्री दीपक अरोड़ा द्वारा जमा कराया गया है। इसके अलावा फूड लाईसेंस भी श्री दीपक अरोड़ा के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार मद्यनीति 2011–12 के बिन्दु संख्या 5.2.2 के बिन्दु संख्या (vi) से (viii) की पालना नहीं होना पाया जाता है।

उक्त विवेचनानुसार अपील अस्वीकार करते हुए आबकारी आयुक्त के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

31.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
31/3/14